न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./43/2025/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. तेजाराम पुत्र पेमाराम 2. भेराराम पुत्र पेमाराम 3. भाखराराम पुत्र पेमाराम 4. सुण्डी पत्नी पेमाराम 5. चुनाराम पुत्र पेमाराम 6. लाडु पुत्र जेठाराम 7. जसराज पुत्र जेठाराम 8. चुकी पत्नी जेठाराम 9. आसुराम पुत्र हीराराम 10. पुनमाराम पुत्र हीराराम 11. रायचन्दराम पुत्र हीराराम 12. सांवलाराम पुत्र हीराराम 13. सुवटी पत्नी हीराराम 14. किसनाराम पुत्र चौथाराम 15. सोनाराम पुत्र चौथाराम 16. अमरू पत्नी उदाराम 17. भुराराम पुत्र उदाराम, जाति विश्नोई, निवासी लुणवा चारणान, तह. गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।		1. जगदीश पुत्र हरूराम 2. मुलाराम पुत्र हरूराम 3. रूखमण पत्नी हरूराम 4. केसाराम पुत्र कोजाराम 5. गंगाराम पुत्र कोजाराम 6. गणपत पुत्र कोजाराम 7. बालाराम पुत्र कोजाराम 8. भगवानराम पुत्र कोजाराम 9. जीचादेवी पत्नी कोजाराम 10. गणपतलाल पुत्र हीराराम 11. दीपाराम पुत्र हीराराम 12. बाबुलाल पुत्र वरिंगाराम 13. रामलाल पुत्र वरिंगाराम 14. अणसी पत्नी वरिंगाराम 15. धापुदेवी पत्नी चौथाराम 16. भुराराम पुत्र चौथाराम 17. खंगाराराम पुत्र तुलछाराम 18. बीरबलराम पुत्र तुलछाराम 19. सुरताराम पुत्र तुलछाराम 20. सुखराम पुत्र उदाराम 21. पांचा पुत्र भारता 22. बाबु पुत्र भारता 23. भारमल पुत्र भारता 24. मानाराम पुत्र भारता, समस्त जातियान विश्नोई, निवासी लुणवा चारणान, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर। 25. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	राणा प्रताप बाजार, गुड़ामालानी 26. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी। 27. शाखा प्रबंधक, आर. एम. जी. बी. बैक शाखा गुडामालानी 28. तहसीलदार, गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 2023/47 बउनवान जगदीश वगैरह बनाम तेजाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.03.2025 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः—

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पो. संख्या 1 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—27.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 03 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद ग्राम लुणवा चारणान, तह. गुड़ामालानी के खसरा संख्या 37 आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 48/36 जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 03 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद ग्राम लुणवा चारणान, तह. गुड़ामालानी के खसरा संख्या 37 आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 48/36 जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मध्य में पड़ता है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुने बिना ही एकतरफा आदेश दिनांक 17.04.2023 पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांट को होने पर श्रीमान की हाजा न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी जिस अपील को अधीनस्थ न्यायालय में पुनः रिमाण्ड इसी आशय से की गई कि विवादित खेत के दो टुकड़े न करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे, जिस पर प्रकरण संख्या 2023/47 दर्ज करते हुए पुनः सुनवाई प्रारम्भ की गई। जिस पर बाद तामील अप्रार्थीगण वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए जसके बाद अधिवक्ता अप्रार्थी 3, 9, 12, 14, 22 एवं 24 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किये जाने पर सहमति प्रदान की। वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6, 7, 18, 19 तथा 25 से 27 द्वारा सीधे बहस का निवेदन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, गुड़ामालानी द्वारा न्यायालय के आदेश से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट आर.आई. द्वारा तैयार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। उक्त एकतरफा तैयार मौका रिपोर्ट को बिना जांच किये ही प्रश्नगत मौका रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के खेत के दो टुकड़े करते हुए अपीलाधीन रास्ता कायम कर दिया जो विधि विरूद्ध है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को बिना विधिक तामील करवाये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ पत्रावली में यह कहीं पर भी अंकन नहीं किया गया है कि अपीलांट/विप्रार्थी को जरिये तामील कुनिंदा नोटिस प्रेषित किया या जरिये डाक नोटिस प्रेषित किया। उक्तानुसार बिना विधिक तामील के ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाकर मात्र दो तारीख पेशी में ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो न्यायालय की न्यायिक मंशा न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती है। उक्तानुसार अपीलांट/विप्रार्थीगण को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई तामील कुनिंदा अपीलांट का नोटिस लेकर घर तक आया तथा न ही कोई नोटिस अपीलांट को जरिये डाक प्राप्त हुआ। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट/विप्रार्थीगण को तामील हेतु किसी भी तरह से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ उक्तानुसार अपीलांट को हस्तगत प्रकरण की तामील हेतु कोई सूचना नहीं दी गई। जो विधि के सिद्धान्तों की घोर अवहेलना प्रदर्शित करता है। अपीलाधीन आदेश से खेत में जो रास्ता घोषित किया गया है उसके कारण अपीलाकर्ता के खेत छोटे–छोटे भागों में विभक्त हो जायेगा जिससे खेत काश्त योग्य नहीं रहेगा। वास्तव में स्कूल के पास जो रास्ता निकलाता है उस रास्ते पर ही रेस्पों. एवं अन्य ग्रामवासी आते जाते हैं जो रास्ता सुगम एवं सरल है तथा उससे किसी भी खातेदार को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दूषित मंशा से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व राजस्व कर्मचारियों के मध्य अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध दुरभि संधि कर अपीलांट को नाहक नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपीलाधीन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण/रेस्पों. को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन ओदश पारित किया गया है। जहां तक खेत को दो टुकड़ों में विभक्त करने का प्रश्न है तो उसके सबंध में हस्तगत प्रकरण की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम मार्ग से खसरा सख्या 48/36 के सहखातेदारों अप्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा मौके पर बनाये गये सभी खेतों को बिना विखंडन किये अपीलाधीन रास्ता कायम किया गया है। उक्तानुसार रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित/प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत तक पहुंचने के लिए कोई अन्य विकल्प/रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता सुगम एवं निकटतम है। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रश्नगत रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंट्स को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांट का जहां तक खेत को दो टुकडों में विभक्त होने का प्रश्न है वहां प्रश्नगत मौका रिपोर्ट के में स्पष्ट अंकन किया गया है कि वाद दायर करने से पूर्व ही एवं वर्तमान में भी खसरा सख्या 48/36 में से ही होकर रास्ता गुजर रहा है। एवं प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम मार्ग से खसरा सख्या 48/36 के सहखातेदारों अप्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा मौके पर बनाये गये सभी खेतों को बिना विखंडन किये अपीलाधीन रास्ता कायम किया गया है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपत्ति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया। जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने अनेकों निणयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की उक्त आपत्ति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से दिया गया है रास्ता विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 2023/47 बउनवान जगदीश वगैरह बनाम तेजाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.03.2025 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

29/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर